(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1548—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05—05—2014 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार, चुरहट, जिला—सीधी के प्रकरण क्रमांक 37/31—27/2013—14

.....

जगदीश पटेल तनय शोभनाथ पटेल

निवासी—ग्राम डिहुली, तहसील—चुरहट

जिला—सीधी, म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1— अमनुआ पत्नी बुद्धसेन पटेल

निवासी—ग्राम डिहुली, तहसील चुरहट, जिला—सीधी, म0प्र0

2— ऐतबरिया पुत्री उदयभान पटेल पत्नी छठिलाल पटेल

निवासी—ग्राम कड़ियार, तहसील रिहावल,

जिला—सीधी, म0प्र0

3— मनबसुआ पुत्री उदयभान पटेल पत्नी जग्गलाल पटेल

निवासी—ग्राम कड़ियार, तहसील रिहावल,

जिला—सीधी, म0प्र0

4— शुकबरिया पुत्री उदयभान पटेल पत्नी गंगा प्रसाद पटेल

निवासी—ग्राम मोहनिया, तहसील चुरहट, जिला—सीधी, म0प्र0

5— मनोज कुमार पटेल तनय बुद्धसेन पटेल

निवासी—ग्राम डिहुली, तहसील चुरहट, जिला—सीधी, म0प्र0

6— पगी पुत्री शोभनाथ पटेल पत्नी राममनोहर पटेल

निवासी—कुशपरी तहसील चुरहट, जिला—सीधी, म0प्र0

7— दुअरिया पुत्री शोभनाथ पटेल पत्नी बृजभूषण पटेल

निवासी—ग्राम नकबेल, तहसील चुरहट, जिला—सीधी, म0प्र0

8– दुदता उर्फ सोमवती पुत्री शोभनाथ पटेल पत्नी छोटेलाल
निवासी–ग्राम रामनगर, तहसील चुरहट, जिला–सीधी, म0प्र0

9– म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर सीधी, म0प्र0

.......................अनावेदकगण

....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1, 2 एवं 3
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 9

....

आदेश

(आज दिनांक 02-06-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार चुरहट, जिला–सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–05–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ अभिलेख का अवलोकन किया । प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05.05.14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के समक्ष फर्द पुल्ली अप्राप्त होने के कारण नायब तहसीलदार ने आगामी पेशी दिनांक 26.06.14 के पूर्व फर्द पुल्ली पेश करने के निर्देश दिये है। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है। आवेदक के अपना पक्ष रखने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क तहसील न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने लिये स्वतंत्र है। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने, उसके अनुसार कार्यवाही के तर्क का प्रश्न है, व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। चूँकि तहसील न्यायालय में प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है, अंतिम निराकरण के पूर्व आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय के आदेश को तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने के लिये स्वतंत्र है। इस निगरानी में कोई ठोस आधार प्रकट नहीं होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर